The Court Fees (Bihar Amendment) ACT, 2008

Act 32 of 2008

Keyword(s):
Central Act Amendment, The Court Fees Act, 1870

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष 1930 (श0)

(सं0 पटना 586) पटना, शुक्रवार 26 दिसम्बर 2008

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

26 दिसम्बर 2008

सं०एल0जी0-1-24/2008/लेज-199—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

(बिहार अधिनियम-32, 2008)

न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2008

बिहार राज्य में लागू होने के लिए न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का VII) के संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ- (1) यह अधिनियम न्यायालय फीस बिहार संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. निरसन एवं व्यावृत्ति- न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 04, 2008) एतद् द्वारा इसके अधिनियमित होने की तिथि के प्रभाव से निरसित किया जाता है।

परन्तु बिहार अधिनियम, 04, 2008 के अनुसरण में वसूल किया गया न्यायालय शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा,

परन्तु और कि वसूल नहीं किया गया न्यायालय शुल्क वसूली योग्य नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

---

26 दिसम्बर 2008

सं०एल0जी0-1-24/2008/लेज-200—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा Dated 19th December, 2008 को अनुमत न्यायालय फीस (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

[Bihar Act 32, 2008]

The Court Fees (Bihar Amendment) ACT, 2008

AN

ACT

TO AMEND THE COURT FEES ACT, 1870 IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF BIHAR

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty ninth year of Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called The Court Fees (Bihar Amendment) Act, 2008.

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. *Repeal And Saving.*— The Court Fees (Bihar Amendment) Act, 2007 (Bihar Act, 04, 2008) is hereby repealed with effect from the date of its enactment.

Provided that court fees already realized pursuant to amendment by Bihar Act, 04, 2008 shall not be refunded,

Provided further that Court fees not realized shall not be recoverable

By Order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 586-571+400-डी0टी0पी0।